संख्या- 1/2021/14/31-2021-47/2013 टी0सी0-I

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2021**

विषयः- रू0 50 लाख अथवा उससे अधिक लागत की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिनका लाभ प्रदेश के जनसामान्य को ससमय सुलभ कराने में मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से माह सितम्बर, 2020 में निर्माण सम्बन्धी विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थी तथा निर्देशित किया गया था कि निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा कर कार्यों को गुणवत्तापरक रुप से ससमय पूर्ण कराया जाए।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में रू0 50 लाख अथवा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा निम्नवत की जाए :-

1. मण्डलायुक्त प्रत्येक सप्ताह अपने मण्डल के किसी एक जनपद के चिन्हित कार्यों का स्वयं निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार जिलाधिकारी अपने जनपद की परियोजनाओं का पाक्षिक निरीक्षण करेंगे।
2. जनपदों में रू0 50 लाख से अधिक की परियोजनाओं की संख्या के दृष्टिगत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी उक्त हेतु परियोजनाएं आवंटित की जाए जोकि नियमित निरीक्षण एवं समीक्षा कर अपनी आख्या मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगें।
3. निरीक्षण में परियोजनाओं की गुणवत्ता, माइल स्टोन्स एवं उनकी पूर्ति हेतु समय सारिणी के अनुसार कार्य की प्रगति की समीक्षा अवश्य की जाए तथा कार्य में कमी पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यदि किसी परियोजना को ससमय पूर्ण कराने हेतु धनराशि की आवश्यककता है तो इस संबंध में परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग से समन्वय स्थापित कर धनराशि अवमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. निरीक्षण आख्या परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 1/2021/14/31-2021-47/2013 टी0सी0- I तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर/स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा परियोजनाओं के निरीक्षण में की गयी अपेक्षाओं पर त्वरित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in